राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– राजपत्रित/डीपीसी/एसएलओ/2010/ 530 दिनांकः– 21.4.10

1. निदेशक चि0 एवं स्वा0 सेवायें प0क0/एड्स/ईएसआई, राज0, जयपुर
2. समस्त प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज एवं नियन्त्रक सम्बद्ध चिकित्सालय
3. निदेशक भ्रमणशील शल्य चिकित्सालय ईकाई राजस्थान जयपुर।
4. समस्त अति0 निदेशक निदेशालय चि0 एवं स्वा0 सेवाये।
5. राज्य कुष्ठ रोग अधिकारी, निदेशालय चि0 एवं स्वा0 सेवाये।
6. समस्त संयुक्त निदेशक (जोन) चि0 एवं स्वा0 सेवाये।
7. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
8. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
9. प्रधानाचार्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र जयपुर/अजमेर।

विषयः– राज्य कुष्ठ रोग अधिकारी, जिला कुष्ठ रोग अधिकारी के पद पर पदौन्नति हेतु राज चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम 63 में किये गये संशोधन अनुसार प्रस्ताव बाबत।

विषयान्तर्गत लेख है कि कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान जयपुर की अधिसूचना सं. प 1(2) कार्मिक/क–2/86 दिनांक 19.03.2010 द्वारा राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम 1963 के संलग्न परिशिष्ठ– I में संशोधन किया गया है। (छाया प्रति संलग्न है)

उक्त संशोधन के अनुसार आपके अधीन कार्यरत ऐसे चिकित्सक जो जिला कुष्ठ रोग अधिकारी व राज्य कुष्ठ रोग अधिकारी के पद पर पदौन्नति हेतु निर्धारित की गयी योग्यतायें एवं अनुभव रखते है तो उनके आवेदन मय आवश्यक प्रमाणित दस्तावेज को 15 दिवस में निदेशालय में भिजवाना सुनिश्चित करावें, ताकि उक्त पदों को नियमित पदौन्नति प्रदान कर भरा जा सकें।

कृपया आपके अधीनस्थ चिकित्सकों में इसका प्रचार/प्रसार कराकर यथाशीघ्र आवश्यक सूचना भिजवाना सुनिश्चित करावें।

संलग्नः– अधिसूचना

अति0 निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– राजपत्रित/डीपीसी/एसएलओ/2010/ 530 दिनांकः– 21.4.10

प्रतिलिपिः–

1. उप शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को उनके पत्रांक प 1(7) चिस्वा/2/05 दिनांक 07.04.2010 के संदर्भ में सूचनार्थ भेजी जा रही है।
2. प्रभारी सर्वर रूम, निदेशालय को भेजकर लेख है कि विभाग की बेबसाइट पर डाउनलोड करने व संबंधित अधिकारियों को ई–मेल कराने का श्रम करावें।

अति0 निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर

1404/PA/Lr
31-3-10

365
31.3.10

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–2/86 जयपुर, दिनांकः 19.3.10

निदेशक,
मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग,
राजस्थान, जयपुर ।

विषयः– अधिसूचना का राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन कराये जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशानुसार लेख है कि कृपया संलग्न **राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 में किये गये संशोधन** की अधिसूचना (हिन्दी अनुवाद सहित) दिनांक 19.03.2010 को राजस्थान के असाधारण राजपत्र विशेषांक भाग 4(ग) एस.आर. दिनांक 19.03.2010 में प्रकाशित कराये जाने की व्यवस्था हेतु अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्राधिकृत पत्र जारी करने की व्यवस्था करें ।

भवदीया,

(नलिनी कठोतिया)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः–

1. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को दिनांक 19.03.2010 के राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 4(ग) एस.आर. में प्रकाशित कराये जाने हेतु प्रेषित है । कृपया अधिसूचना से संबंधित राजपत्र की तीन प्रतियां इस विभाग को भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें ।
2. सहायक शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय को मंत्रिमण्डल की आज्ञा संख्या 11/2010 दि0 06.01.2010 एवं ज्ञापन सं. प. 1(7)चि.स्वा./ग्रुप–2./2005 दिनांक 22.12.2009 के संदर्भ में ।
3. प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव/शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग।
4. निदेशक,, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर।
5. सहायक शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–1) विभाग को 9 अति0 प्रतियों के साथ ।
6. विधि (संहिताकरण)/विधि पुस्तकालय/सहायक विधि प्रारूपकार(प्रारूपण)।
7. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, राजस्थान, जयपुर ।

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भीः–
1– सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को 25 प्रतियों के साथ ।
2– सचिव, राजस्थान विधान सभा(अधीनस्थ विधान संबंधी समिति) जयपुर को 20 प्रतियों के साथ ।
3– रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर/राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
4– सचिव, राजस्थान लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर ।
5– सम्पादक, शिविरा/सचिवालय संदेश/लेखाविज्ञ ।
6– निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, जयपुर को समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु ।
7– रजिस्ट्रार, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली को 5 प्रतियों सहित ।

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी :–
1– प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर ।
2– सचिव, मुख्यमंत्री राजस्थान, जयपुर ।
3– निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर ।
4– निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग ।
5– अद्यतन लिपिक को 5 प्रतियों में ।
6– गार्ड फाईल ।

शासन उप सचिव

9/2010

My com/D/Ganesh/Forwrding not.-27

4. State Leprosy Officer	100% by Promotion	Distt. Leprosy Officer or Senior Medical Officer	1. Must have 5 years experience on the post of District Leprosy Officer or 10 years experience on the post of Senior Medical Officer after regular selection. 2. Must have at least 45 days training in Leprosy Eradication Programme in any Institution recognized by Medical Council of India/Government of Rajasthan, and 3. Must have 5 years field experience in Leprosy Control Programme.

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Gr. II)

No. F.1 (2) DOP / A-II /86 Jaipur, dated 19·3·10

NOTIFICATION

In the exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Medical and Health Service Rules, 1963, namely: -

1. **Short title and commencement.**– (1) These rules may be called the Rajasthan Medical and Health Service (Amendment) Rules, 2010.

   (2) They shall come into force with immediate effect

2. **Amendment of Schedule I.**– In Schedule-I appended to the Rajasthan Medical and Health Service Rules, 1963,-

   (i) the existing serial number 4 and entries there to shall be substituted by the following, namely:-

9/2010

(ii) **the existing serial number 10 and entries** there to shall be substituted by the following, **namely:-**

10. District Leprosy Officer	100% by transfer from Senior Medical Officer	Senior Medical Officer	1. Must have five years experience in the field of Leprosy Eradication Programme after regular selection on the post mentioned in Col. No. 3 2. Preference will be given to persons having Post Graduate Degree in Medicine or Skin & VD or Preventive & Social Medicine. 3. Must have at least 45 days training in Leprosy Eradication Programme in any institution recognised by Medical Council of India/ Government of Rajasthan.

By Order and in the name of the Governor,

(signature)

(Nalini Kathotiya)
Deputy Secretary to Govt.

9/2010